



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड झींझक  
दक्षिणोचल विद्युत वितरण निगम लि०  
रसूलाबाद कानपुर देहात।

PR.No-7000480896

पत्रांक-

/वि०वि०ख०(झी०) का०दे०/

दिनांक

आवेदन सं० 1008362328

C.N.No- 9359231601769

**ESTIMATE PROJECT CODE ON ERP-DVDP.KD.PD.4554**

**लाइन खींचने का आदेश पूर्ण जमा योजना**

श्री रामबाबू पुत्र श्री रामलाल ग्राम भीखापुरवा पो० जलिहापुर थाना मंगलपुर जिला कानपुर देहात।

उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड, झींझक, कानपुर देहात।

आपको सूचित किया जाता है कि उपभोक्ता ने इस कार्यालय में दिनांक 27.01.2024 में प्राकलन स्वीकृत संख्या 315/23-24 के अनुसार स्वीकृत भार सं० 185/23-24 ( 10 अ०श०) के लिए तथा निम्नलिखित विधाओं के लिए अनुबन्ध कर लिया है, अतः आप उपभोक्ता का कनेक्शन देने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। उपभोक्ता ने आनलाइन रू० 192219.00 ट्रां०आ०डी० YHDF2219847577 चालान सं० P53890151 दिनांक 31.01.2024 जमा कर दिया है।

विधा-एल०एम०वी-5,

क्र.सं.	विवरण	मूल्य
1	सिक्वोरटी-	3000.00
2	लाइन चार्ज	184262.00
3	मीटर चार्ज	2921.00
4	फिक्स चार्ज	2036.00
कुल धनराशि		192219.00

- सं० 1. 185/निजी नलकूप/23-24, 19/01/2024  
2. बी०एण्ड एल० फार्म।  
3. विद्युत नियमावली।  
4. प्रकमण शुल्क- 100.00रू०, ट्रां०आइ०डी० YHDF2181544484 दि० 22.12.2023  
5. ट्रेजरी चालान।

(संतोष कुमार)

अधिशासी अभियन्ता

तददिनांक 02/02/24

पत्रांक 5685/वि०वि०ख०/झींझक/का० दे०/लाइन खींचने का आदेश

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

प्रतिनिधि उपभोक्ता श्रीमती/ श्री रामबाबू पुत्र श्री रामलाल ग्राम भीखापुरवा पो० जलिहापुर थाना मंगलपुर तहसील डेरापुर जनपद कानपुर देहात।

- सहायक अभियन्ता (मीटर), विद्युत परीक्षण खण्ड कानपुर देहात।
- सहायक विद्युत निरीक्षक, के०एन०टी० बिल्डिंग फजलगंज कानपुर को बी०एण्ड०एल० फार्म के साथ प्रेषित।
- अवर अभियन्ता श्री करन सिंह के०वी० विद्युत उपकेन्द्र झींझक कानपुर देहात। अवर अभियन्ता को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि विद्युत आपूर्ति चालू करने से पूर्व कोठरी व वायरिंग अवश्य पूर्ण करालें।
- बिल लिपिक, वि०वि०ख०झींझक, कानपुर देहात
- मानचित्रक/कैशियर(वर्क्स),विद्युत वितरण खण्ड, झींझक कानपुर देहात।

नोट:- निजी नलकूप संयोजन पर मीटर लगाना अनिवार्य है। मीटर लगवाने के उपरान्त ही संयोजन ऊर्जीकृत किया जायेगा मीटर न लगाने की स्थिति में संयोजन निर्गत कर पाना संभव नहीं होगा तथा बिना मीटर के संयोजन पाया गया तो धारा 135 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी। जिसके लिये उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

(संतोष कुमार)

अधिशासी अभियन्ता

प्रपत्र . क

ESTIMATE PROJECT CODE ON ERP-DVDP.KD.PD4554

1. पैकेज संख्या EDD/251/ EDD-श्रीझक पूर्ण जमा योजना / झीझक / कानपुर देहात / 2023-24. 02/02/2024

2. कार्य का विवरण जनपद —: जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत 33/11के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, झीझक से निर्गत 11 के0वी0 विश्व बैंक फीडर पर श्री राम बाबू पुत्र श्री राम लाल ग्राम जलिहापुर पो0 भीखापुरवा ब्लाक झीझक कानपुर देहात। के 10 HP निजी नलकूप के संयोजन निर्गत करने हेतु पैकेज।

1. उपभोक्ता का पता: ग्राम जलिहापुर पो0 भीखापुरवा ब्लाक झीझक कानपुर देहात।

2. कार्य का तकनीकी आधार पर औचित्य .....

3. कार्य को तुरन्त करने का कारण तथ्यों सहित .....

4. सिस्टम लोडिंग चार्जज .....

5. स्वीकृत भार एवं विभव /2023-2024 , दिनांक:  
,10 अ0श0.

कार्परेशन द्वारा

0.00

उपभोक्ता द्वारा

189219.00

6. स्वीकृत प्रांकलन की धनराशि .....

189219.00


7. प्रांकलन का संक्षिप्त विवरण : पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत।


वर्तमान में निर्धारित (रेस्पो) रेट शिड्यूल के अनुसार			
	उपभोक्ता द्वारा देय धनराशि	निगम द्वारा देय धनराशि	योग
1.सामग्री की धनराशि	170883.00	0.00	170883.00
2. अधिष्ठान व्यय	1018.00	0.00	1018.00
3. स्थानीय व्यय हेतु नकद धनराशि	1018.00	0.00	1018.00
4. अन्य धनराशि	16300.00	0.00	16300.00
<b>TOTAL</b>	<b>189219.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189219.00</b>

1. उपभोक्ता द्वारा कुल जमा धनराशि रुपया लाईन चार्ज0 **Rs. 192219.00**.चालान सं0 P53890151 अन्तरण आई0डी0 YHDF2219847577 दिं0 31.01.2024 के द्वारा वि0वि0खं0झीझक कानपुर देहात।
2. प्रमाणित किया जाता है कि प्रांकलन/पैकेज वर्तमान में लागू रेस्पो शिड्यूल की दरों के अनुसार बनाया गया हैं।

  
DRAFTSMAN

पैकेज स्वीकृत

  
अधेशाषी अभियन्ता  
झीझक /रसूलबाद कानपुर देहात

  
EXECUTIVE ENGINEER  
EDD JHINJHAK ,KANPUR DEHAT

# कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड,

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०

झींझक, कानपुर देहात ।

संख्या- 5627 / वि०वि०ख०झी०का०दे० / टी०सी०

दिनांक- 29/01/2024

E-mail: Eeeddjhinjhak2@gmail.com

पूर्ण जमा योजना

सेवा में

श्री राम बाबू पुत्र श्री रामलाल,  
ग्राम जलिहापुर पो० भीखापुरवा,  
कानपुर देहात ।

आवेदन सं० - 1008365467

कनेक्शन नं० -

विषय-टी०सी० राशि जमा करने हेतु | ESTIMATE PROJECT CODE ON ERP- DVDP.KD.PD.4554

ब्लॉक - झींझक

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि अर्न्तगत 33/11 के०वी० विद्युत उपकेंद्र झींझक से निर्गत 11 के०वी० विश्व बैंक फीडर पर 10 अ०श० निजी नलकूप का प्राकलन स्वीकृत कर लाइन निर्माण कराने हेतु विद्युत भार स्वीकृत सं० /2023-24 दिनांक..... पी०टी०डब्ल्यू०/2023-24 प्राकलन स्वीकृत सं० 315/पूर्ण जमा योजना/2023-24 दिनांक 27.01.2024 देने में अंकन रू०

**192219.00** मात्र का प्राकलन स्वीकृत किया गया है तथा संयोजन को देने में 380 नी०/लम्बी एच०टी०/एल०टी० लाइन तथा अधिकतम क्षमता 25 के०वी० ट्रांसफार्मर लगाने के लिये निम्नलिखित व्यय होगा।

कृपया आपसे निवेदन है कि निम्नलिखित धनराशि इस कार्यालय में इस पत्र पर अंकित तिथि से 90 दिन के अन्दर जमा कर दें। अन्यथा समझा जायेगा कि आप कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं हैं और उक्त प्रक्रिया स्वतः ही निरस्त हो जायेगी, तत्पश्चात संयोजन हेतु आपको पुनः प्रोसेसिंग फीस जमा करनी /पुनः आवेदन करना होगा।

	रू०	पै०	टिप्पणी
1 प्रतिभूति (सिक्योरिटी)	3000.00		
2 मीटर कास्ट	2921.00		
3 लाइन चार्जेज	184262.00		
4 फिक्स चार्ज	2036.00		
उपभोक्ता द्वारादेय धनराशियोग	<b>192219.00</b>		

नोट- मुख्य महा प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं० 72/उ०म०प्र०(टैक्स/जीएसटी सैल)/2018 दिनांक 27.07.2018 के अनुपालन में जी०एस०टी० अवमुक्त की गयी है।

रूपया जमा करते समय खजांची प्रकमण शुल्क की रसीद अवश्य दिखायें।

- 1 रूपया जमा करने के पश्चात अपनी रसीद सहित इस कार्यालय में रू० 100.00 के स्टाम्प पेपर, अपने दो गवाहों, सत्यापित फोटो तथा वांछित प्रपत्र के साथ इस कार्यालय में अनुबन्ध करें।
- 2 मीटर निरीक्षण शुल्क हेड नं० 0043 बिजली पर कर एवं शुल्क/102 भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के अधीन निरीक्षण शुल्क की जमा रसीद साथ में लेकर आयें।
- 3 शट कैपिस्टर की खरीद रसीद साथ में लायें/ बी० एण्ड एल० फार्म साथ में लायें।
- 4 निजी नलकूप हेतु कारपोरेशन के नियमानुसार सामग्री की दुलाई एवं निर्माण का व्यय उपभोक्ता द्वारा स्वयं वहन करना होगा।
- 5 लाइन निर्माण के समय कोई भी व्यवधान उत्पन्न होने पर उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 6 गार्डिंग का धनराशि अतिरिक्त चार्ज की जाएगी।
- 7 उक्त संयोजन पर मीटर लगने के उपरान्त ही संयोजन ऊर्जाकृत किया जायेगा।
- 8 उपरोक्त धनराशि केवल भुगतान PTW पोर्टल पर ही स्वीकार्य होगा इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से भुगतान मान्य नहीं होगा। (रू० 192219.00)

(सन्तोष कुमार )  
अधिशाषी अभियन्ता